न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 02/2024

1 हाकिम पुत्र सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मृतक विकसित सावन पुत्र सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु
1/1 सरोज देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी विकसित सावन निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/2 प्रसान्त पचार आयु 20 वर्ष पुत्र विकसित सावन निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/3 निशान्त पचार आयु 14 साल पुत्र विकसित सावन निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज. नाबालिग जरिये कुदरती माता सरोज देवी
2 सावित्री पत्नी रामवतार जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 संतोष देवी पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4 अब्बास पुत्र अकबर
5 इलियास पुत्र अकबर
6 रफीक पुत्र अकबर
7 मनु पुत्र अकबर
8 लतीफ पुत्र अकबर
9 लियाकत पुत्र अकबर
10 शरीफ पुत्र अकबर
11 उल्फत पुत्री अकबर समस्त जाति कायमखानी निवासीगण झांझोत तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(सीकर झुन्झुनूं)

12 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2024 मु.नं. 59/2023 बउनवानी हाकिम वगै. बनाम सावित्री व अन्य न्यायायल उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री उम्मेद भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सनुवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने दावा के प्रतिवादीगण के खिलाफ व अपीलान्ट के खिलाफ एक दावा विभाजन संख्या 187/2022 प्रस्तुत किया। दावा के प्रतिवादी संख्या 9/अपीलान्ट के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया गया। दावा बाबत कृषि भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 1.30 हैक्टेयर वाके झांझोत तहसील चिड़ावा हेतु पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी नम्बर 9/अपीलान्ट पर सम्मन की सम्यक रूप से तामील होना मानकर प्रतिवादी नम्बर 9/अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13.12.2022 को अपीलान्ट व दावे के प्रतिवादीगण के खिलाफ एक प्रारम्भिक डिक्री एकपक्षीय पारित कर दी गई तथा दिनांक 19.01.2023 को नियमों के विरूद्ध एकपक्षीय अंतिम डिक्री भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित कर दी गई। प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार कोई विभाजन प्रस्ताव भी नहीं आया है तथा अपीलान्ट के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं है, पटवारी हल्का ने अपने कार्यालय में बैठकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। उक्त प्रकरण में गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर बगैर कोई रास्ता नजदीक लगे ही कानून विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 9 के कब्जे स्वामित्व की भूमि के दक्षिणी सींव होता हुआ खसरा नम्बर 87/2, 86/2,85/2 रास्ता कायम कर दिया। जिसकी सूचना मौके पर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 9 को उक्त प्रकरण के वादीगण द्वारा दिनांक 10.07.2023 को जबरन रास्ता बनाने का प्रयास करने पर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 9 ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसने उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 9 ने विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको विचारण न्यायालय ने बिना माईण्ड अप्लाई किये ही बिना साक्ष्य एवं विधिवत सुनवाई नही कर खारिज कर दिया। न्यायालय ने आर्बिट्रेरी परवस व मेलाफाईड तरीके से अपना निजी हित देखकर अवैध आदेश पारित करने की भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने बाला-बाला एकपक्षीय आदेश एवं एकपक्षीय प्रारम्भिक दिनांकित 13.12.2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 19.01.2023 प्राप्त कर अपनी मर्जी से रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत अंतिम से मिलकर अवैध रूप से विभाजन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

प्रस्ताव तैयार करवा लिया। जिसमें मौके के कीमती जमीन जो स्थित है, को रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 ने अपनी विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा लिया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 खसरा नम्बर 85, 86, 87 में अपनी मनमर्जी से रास्ता कायम करवाकर व खसरा नम्बर 88 में रास्ता नहीं करवाकर अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय किया है। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। इस कारण अपीलान्ट उक्त विभाजन प्रस्ताव व एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.12.2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 19.01.2023 तथा अ. आदेश 09 नियम 13 व 151 जा.दी. दिनांकित 10.01.2024 को खारिज करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने दावा संख्या 187/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2023 के विरूद्ध आदेश 09 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध मूलवाद 187/2022 में दिनांक 30.11.2022 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2023 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस अपील में इस न्यायालय को मूलवाद में प्रार्थी अपीलान्ट की तामील के संदर्भ में परीक्षण किया जाना है। दौराने सुनवाई अपील रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने मूलवाद में अपीलान्ट हाकिम को जारी नोटिस तामीलशुदा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 28.11.2022 के लिए जारी नोटिस की तामील स्वयं अपीलान्ट पर दिनांक 16.11.2022 को हो चुकी थी। विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार दिनांक 30.11.2022 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने दावा संख्या 187/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2023 के विरूद्ध आदेश 09 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध मूलवाद 187/2022 में दिनांक 30.11.2022 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश एवं निर्णय वं डिक्री दिनांक 19.01.2023 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

इस अपील में इस न्यायालय को मूलवाद में प्रार्थी अपीलान्ट की तामील के संदर्भ में परीक्षण किया जाना है। दौराने सुनवाई अपील रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने मूलवाद में अपीलान्ट हाकिम को जारी नोटिस तामीलशुदा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 28.11.2022 के लिए जारी नोटिस की तामील स्वयं अपीलान्ट पर दिनांक 16.11.2022 को हो चुकी थी।

विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार दिनांक 30.11.2022 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलान्ट मूल डिक्री के विरूद्ध नियमित अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर